नम्बर द
अहकाम
हुक्म की
में जा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
84 / 2018	31.08.2018	२६.09.2018

बइजलास– के0जी0जोजन, (आर.ए.एस.)

–:: उनवान::–

1. राकेश पुत्र पुष्पचन्द जाति मेघवाल निवासी डोबड़ा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज0

(वादी)

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमंडी जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित अधिवक्त

1. श्री अब्दुल हलीम अंसारी :– वकील वादी
2. पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि,

1. यह कि ग्राम पीपल्दा तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा (राज0)में स्थित खाता संख्या 145/145 की खं0 नं0 613/575 की रकबा 0.93 हैक्टर भूमि स्थित है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।
2. यह कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी के सेटलमेंन्ट से पूर्व के साबिक नम्बर 457 मिन रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा थे।
3. यह कि मोके पर प्रारम्भ से ही आज तक जिस स्थान पर वादी का कब्जा चला आ रहा है वह स्थान नक्शा ट्रेस में वर्तमान खसरा नम्बर 571 दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी के खाते में 571 के बजाय त्रुटिवश 613/575 दर्ज कर दिया गया है।
4. यह कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त त्रुटि को दुरुस्त करवा कर वादी स्वयं को खसरा नम्बर 613/575 के बजाय खसरा नम्बर 571 का खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner

5. यह कि वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में हुई उक्त सेटलमेंन्ट त्रुटि को दुरूस्त कर वादी के खाते में खसरा नम्बर 613/575 के बजाय 571 दर्ज करने का निवदेन किया लेकिन आज तक उक्त त्रुटि को दुरूस्त नहीं किये जाने से यह वाद माननीय न्यायालय में पेश है।
6. यह कि वाद कारण वादी द्वारा दिनांक 30/7/2018 को अंतिम मर्तबा प्रार्थी प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में हुई उक्त त्रुटि को दुरूस्त कर वादी के खाते में खसरा नम्बर 613/575 के बजाय कब्जे अनुसार खसरा नम्बर 571 दर्ज करने का निवेदन किया लेकिन आज तक उक्त त्रुटि को दुरूस्त नहीं करने से वाद–कारण उन्पन्न हुआ है।
7. यह कि वाद का मुल्याकंन 50000 रु0 किया जाकर उचित न्याय शुल्क पर अवधि मघ्य प्रस्तुत है।
8. यह कि वादग्रस्त आराजी वाके माल ग्राम पीपल्दा तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा (राज0)में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है।
9. यह कि भूमि धारक राज्य सरकार होने से तहसीलदार साहब रामगंजमंडी को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

अन्य कथन कर तथा वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

अ– कि वादी को ग्राम पीपल्दा तहसील रामगंजमण्डी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 613/575 के बजाय सेटलमेंन्ट त्रुटि को दुरूस्त कर कब्जे अनुसार खसरा नम्बर 571 का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

ब–अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादी प्राप्त करने का अधिकारी है वह भी प्रदान की जावें।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा बिन्दुवार निम्न जवाब प्रस्तुत किया।

वाद पत्र का बिंदु संख्या 1 स्वीकार है।

Scanned by CamScanner

वाद पत्र का बिंदु संख्या 2 को साबित करने का दायित्व पक्षकारान् का है।

वाद पत्र का बिंदु संख्या 03 में तथ्य रिपोर्ट पटवारी अनुसार मोके पर खसरा नम्बर 571 की 2.53 हैक्टर में से 0.93 हैक्टर मध्य पर वादी काबिज काश्त है। लेकिन खाते में खसरा नम्बर 613/575 है जिसे सेटलमेन्ट द्वारा अन्य जगह दर्शा दिया गया है। जो कि गलत दर्शाया गया है। मोके पर वादी के खाते का खसरा नम्बर 613/575 वादी जिस जगह काबिज है से दक्षिण तरफ लगभग 150 मीटर दूर स्थित है। जो खाली पड़ा है। जिस पर वादी कभी काबिज नहीं रहा है।

वाद पत्र का बिन्दु संख्या 4 से 9 को न्यायालय से सम्बन्धित अंकित किया जाकर अन्य तथ्य अंकित किये कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मोके पर वादी खसरा नम्बर 571 रकबा 0.93 हैक्टर की मध्य तरफ काबिज है। जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। वादी के खाते की भूमि जिसका खसरा नम्बर 613/575 है खाली पड़ी हुई है। इसलिये वादी खसरा नम्बर 613/575 पर काबिज काश्त दर्शाया गया है। जबकि वादी जिस आराजी पर काबिज है उसका खसरा नम्बर 571 है। सैटलमेंन्ट द्वारा सहवन से वादी का खसरा 571 की जगह 613/575 दर्ज कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी/पैरोकार सरकार द्वारा वादी के वादपत्र के कथनों का समर्थन किया गया। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे वादी के वादपत्र को अस्वीकार किये जाने के कथन किये गये हो।

जवाब प्रस्तुत होने पर जवाब की प्रति विद्वान अधिवक्ता वादी को दिलवाई जाकर जवाब शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी ली गई। वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा स्वयं का शपथपत्र , छायाप्रति नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा प्रदर्श–1 , नकल नक्शा प्रदर्श–2 , नकल फर्द मिलान ग्राम पीपल्दा प्रदर्श–3

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा मुख्य तर्क यह है कि वादगत भूमि सेटलमेंन्ट के दौराने वादी जहॉ पर काबिज है उस स्थान को नजर अंदाज कर मनमर्जी से खसरा नम्बर 613/575 के स्थान पर दर्शा दी गई है जबकि वादी प्रारम्भ से ही खसरा नम्बर 571 रकबा 0.93 हैक्टर पर ही काबिज है। वादी के वादपत्र का सरकार द्वारा कोई विरोध इस कारण भी नहीं किया गया है कि वादी अपने

Scanned by CamScanner

सही स्थान पर काबिज है। वादी के खातेदारी की भूमि के स्थान को सिवाय चक दर्ज कर दिया गया है जबकि सिवाय चक भूमि को नक्शे अनुसार वादी के खाते में दर्ज कर दिया गया है। यदि इसी प्रकार अंकन रहा तो वादी अपने ही खाते की भूमि पर अतिचारी कहा जावेगा। जो पूर्णतया एक विधि विरूद्ध होगा। अन्य तथ्य हस्ब वादपत्र दोहराये गये तथा निवेदन किया गया कि वादी के खाते में दर्ज भूमि को सिवाय चक दर्ज किया जावे तथा वादी जिस स्थान पर काबिज है वह स्थान वादी के खाते में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे ताकि वादी के खाते , नक्शे तथा मोके के अनुसार रिकार्ड दुरूस्त हो सके।

पैरोकार सरकार द्वारा जवाब सरकार के तथ्यों को ही दोहराया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादगत भूमि वाके माल मौजा पीपल्दा तहसील रामगंजमण्डी आराजी खसरा नम्बर 613/575 रकबा 0.92 हैक्टर वादी के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। हस्ब जवाब सरकार वादी उक्त भूमि पर काबिज नहीं होकर खसरा नम्बर 571 के रकबा 0.93 हैक्टर मध्य भाग पर काबिज है। तथा वादी की भूमि खसरा नम्बर 613/575 रकबा 0.93 हैक्टर मोके पर रिक्त पड़ी हुई है। इस प्रकार प्रकरण में एक तथ्य तय किये जाने में कोई दो राय नहीं है कि वादी के खाते में जो भूमि दर्ज है उस पर वादी काबिज नहीं है और जिस भूमि पर वादी काबिज है वह भूमि उसके खाते में दर्ज नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में प्रमुख विषय मोके व राजस्व नक्शे का मिलान नहीं होने का है।

प्रतिवादी का कथन है कि सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा मोके से विपरीत जाकर त्रुटिवश वादी के नक्शे में 571 के स्थान पर 613/575 दर्ज कर दिया गया है। प्रतिवादी का यह भी कथन है कि वादी के खाते की भूमि मोके पर खाली पड़त पड़ी हुई है तथा वादी खसरा नम्बर 571 की रकबा 093 हैक्टर पर काबिज है। इस प्रकार प्रकरण में यह तय किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है कि वादी द्वारा प्रस्तुत मूल आपत्ति को प्रतिवादी द्वारा नक्शा व मोके से स्वीकार कर लिया गया है।

महकमा बन्दोबस्त द्वारा मोके से इतर जाकर राजस्व नक्शे में जो अंकन किया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है। सेटलमेंन्ट के दोरान उक्त खाते का नक्शा त्रुटिपूर्ण पैमूद किये जाने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। नक्शे में मोके से विपरीत जाकर जो त्रुटिपूर्ण

अधिकारी
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner

नम्बरअंदाजी का कार्य किया गया है वह अनुचित प्रतीत होता है। उक्त प्रकार के सम्बन्ध में ए0आई0आर0 1989 एस0सी0 1582 में उल्लेखित है कि,

The Statution Authority can not Travel beyond the Power conferred & any action without power has no legal validity . it is ab initio void & can not be ratified .

माननीय न्यायालय के निर्णयों की रोशनी में हम प्रस्तुत प्रकरण को देखते है तो पाते है कि वादी के खाते व नक्शे में दौराने भू0प्रबन्ध , महकमा बन्दोबस्त द्वारा त्रुटिपूर्ण अंकन किया जाकर प्रार्थी जिस स्थान पर काबिज था उस स्थान से अन्य जगह नक्शा पैमूद कर दिया गया है जिससे काबिज स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। जिसका उन्है कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया उक्त कृत्य उचित नहीं ठहराया जा सकता।

भू0प्रबन्ध विभाग के उक्त कृत्य को हम वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा प्रति0 के जवाब के अनुसार उचित नहीं पाते है। प्रार्थी को उक्त अंकन के परिणामस्वरूप किये गये त्रुटिपूर्ण अंकन को निरस्त करवा कर दुरूस्ती का अधिकारी पाया जाता है क्योंकि भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया कार्य त्रुटिपूर्ण है और उक्त त्रुटिपूर्ण कार्य के परिणाम जिसके द्वारा वादी को काबिज स्थान से नक्शे में अन्य स्थान पर काबिज होना दर्शा कर त्रुटिपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया है, को हम न्याय की दृष्टि मे भी त्रुटिपूर्ण पाते है।

वादी के द्वारा वॉच्छित रिलीफ् को वादी द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित किया है तथा वादी द्वारा वॉच्छित रिलीफ् दिये जाने पर प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में वर्णित तथा प्रभावित भूमि के हितबद्व पक्षकार " करेक्शन ऑफ एन्ट्री " पर एकराय है। वादी को वॉच्छित अनुतोष दिये जाने पर सरकार को कोई भूमि की हानि होना या अन्य प्रकार से राजस्व हानि होना प्रमाणित नहीं है और न ही इस बाबत किसी प्रकार का आक्षेप ही किया गया है।

अतः प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विवेचन , विश्लेषण तथा मनन के उपरान्त हम यह पाते है कि वादी को वॉच्छित अनुतोष दिये जाने पर प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं है। वादी के वादपत्र में अंकित मूल आक्षेप को प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि वादी के नाम पर दर्ज ग्राम पीपल्दा के खसरा नम्बर 613/575 रकबा 0.93 हैक्टर को वादी के खाते से हटाया जाकर सिवायचक सरकार दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 571 का रकबा 0.93 हैक्टर मध्य भाग को वादी के नाम पर दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। नक्शे में राजस्थान भू–अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 59 से 62 के अनुसार नम्बर अंदाजी की जावे। राजस्व रिकार्ड/नक्शे में दुरूस्ती की जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

निर्णय मैरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनॉक 26/09/2018 को विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया ।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner